न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 234/2020

निर्णय दिनांक :–15.09.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र

1. अनिता पत्नी हनुमान जाति कलाल निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. ग्यारसी पत्नी श्योजी जाति कलाल निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. श्योजी पुत्र देवा जाति कलाल निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. हनुमान पुत्र देवा जाति कलाल निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

बनाम

1. कृष्णमुरारी पुत्र बन्शीदास जाति बैरागी निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. गोपाल पुत्र भूरा जाति कलाल निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. बदाम पत्नी गोपाल जाति कलाल निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. राजेश पुत्र मांगीलाल जाति कलाल निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. हंसा पत्नी राजेश जाति कलाल निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

–उपस्थितिः–

श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थी संख्या 1 ता 5

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 247 खसरा नम्बर 1175/772 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। उक्त भूमि के सहखातेदार अप्रार्थीगण 2 ता 5 है। उक्त भूमि बंटवारे में प्रार्थीगण के हिस्से में आयी है तथा प्रार्थीगण का ही कब्जा है। अप्रार्थीगण 2 ता 5 ने प्रार्थी बनने से मना कर दिया इस कारण उन्हे अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है जिसके खिलाफ कोई रिलिफ नही चाही गई है। अप्रार्थी नम्बर 1 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 854 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 855 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान

में स्थित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1175/772 रकबा 0.50 है पर अपने पूर्वजो के समय से ही ग्राम कंवरपुरा से सकरामपुरा आने वाले आम रास्ता खसरा नम्बर 894 से अप्रार्थी 1 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 854 व 855 की पूर्वी दिशा की ओर स्थित मेर पर से होकर खाल की भूमि खसरा नम्बर 851 में से होकर आते जाते रहे है, परन्तु अब अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थीगण की उक्त अराजीयात में आने जाने वाले उक्त रास्ते को बंद कर दिया है जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजीयात पर आने जाने मे काफी परेशानी हो रही है तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि को काश्त नही कर पा रहे है। जिसके कारण प्रार्थीगण को काफी आर्थिक नुकसान को रहा है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात पर आने जाने का अन्या कोई वेकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजीयात पर आने जाने के लिए ग्राम कंवरपुरा से सकरामपुरा आने वाले आम रास्ता खसरा नबर 894 से अप्रार्थी 1 की खातेदारी की आराजी भूमि खसर नम्बर 854 व 855 की पूर्वी दिशा की ओर स्थित मेर पर से होकर खाल की भूमि खसरा नम्बर 851 में से होकर 20 फीट चोडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिए प्रार्थना पत्र पेश है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थी तहसीलदार जवाब रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:—प्रकरण में खसरा नम्बर 247 खसरा नम्बर 1175/772 रकबा 0.50 है0 ग्राम कवंरपुरा पटवार मण्डल निवारिया तहसील देवली में कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग के लिए विवादित आराजी खसरा नम्बर 854/0.22 किस्म बारानी 2, 855/0.34 किस्म बारानी खातेदार कृष्ण मुरारी पुत्र बंशीदास वैरागी सा0 देह खातेदार व खसरा नम्बर 851 रकबा 2.37 है0 किस्म गै0मु0 नाली सिवायवचक ना काबिल काश्त भूमि से रास्ता चाहा गया है। इस प्रकरण में दिनांक 31.12.2020 को पटवारी हल्का के साथ मौका देखा गया, रिकार्ड एवं मौका अनुसार प्रार्थीगण की आराजी तक पहंचने हेतु मुख्य मार्ग खसरा नम्बर 894 रकबा 1.23 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता के मध्य खसरा नम्बर 854, 855 खातेदारी भूमि व सिवायचक काबिल काश्त भूमि खसरा नम्बर

G.2v

772 रकबा 1.61 है0 किस्म बंजर भूमि एवं सिवायचक नाकाबिल काश्त भूमि खसरा नम्बर 851 रकबा 2.37 है0 किस्म गै0मु0 नाली स्थित है। इस प्रकार खसरा नम्बर 851 की किस्म अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित होने से उक्त प्रकरण में 251क का प्रस्ताव बनाया जाना उचित नही है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है। अतः प्रार्थी को किसी भी तरह से रासता दिलाये जाने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने पर दृष्टिगत है कि प्रार्थीगण की आराजी ख. नं. 1175/772 व गै. मु. रास्ता ख. नं. 894 के मध्य अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 854, 855 व सिवायचक भूमि 772 के अलावा ख. नं. 851 रकबा 2.37 है0 की किस्म गै. मु. नाली है, जो अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित भूमि होने से इस भूमि को खुर्द बुर्द नहीं किया जा सकता है न ही इसकी किस्म परिवर्तन किया जा सकता है। अतः तहसीलदार द्वारा अभिशंषा नहीं होने व ख. नं. 851 प्रतिबंधित श्रेणी में होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।